रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2011/ आषाढ 15, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 84
No. 112] DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2011/ASADHA 15, 1933 [N.C.T.D. No. 84

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 6 जुलाई , 2011

फा. सं. 23(23)(6)/2011-विसस-4/विधायी/6118.— दिनांक 5 जुलाई, 2011 को उपराज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (सन 1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा 6 की उप-धारा (2) के उप-खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा के सातवें सत्र (बजट सत्र) का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करता हूँ।

ह0/-
तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल, दिल्ली

पी. एन. मिश्रा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th July, 2011

F. No. 23(23)(6)/2011-LAS-IV/Leg./6118.—The following order of the Lieutenant Governor, Delhi, dated 5th July, 2011 is hereby published for general information :—

In exercise of the power conferred upon me by clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No. 1 of 1992), I, Tejendra Khanna, Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby prorogue the Seventh (Budget) Session of the Fourth Legislative Assembly with immediate effect.

Sd/-
TEJENDRA KHANNA, Lt Governor

P. N. MISHRA, Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 6 जुलाई, 2011

सं. फा. 5(54)/पी-II/वैट/संशो./2010/11/305-316.—जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या डी- II/451/12(14)/2011 दिनांक 26-5-2011 के द्वारा नई दिल्ली में साउथ एशिया रीजनल डेलिगेशन ऑफ इंटरनेशलन फेडरेशन ऑफ रेडक्रास एवं रेड क्रिसेंट सोसायटी की सरकारी खरीद के पक्ष में वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया है, और जबकि मेरा मत है कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है।

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ अर्थात् :—

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में —

(i) भाग-ख में क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि, में क्रम संख्या 27 के उपरांत नई प्रविष्टि (28) सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(28) नई दिल्ली स्थित साउथ एशिया रीजनल डेलिगेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रास एवं रेड क्रिसेंट सोसायटी की सरकारी खरीद पर ।"

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATIONS

Delhi, the 6th July, 2011

No. F. 5(54) /Policy-II/Vat/2010/305-316.— Wheraas the Ministry of External Affairs, Govt. of India have *vide* their letter No. D-II/451/12(14)/2006 dated 26th May, 2011 requested the Government of NCT of Delhi to grant facility of VAT exemption/refund in favour of the south asia Regional Delegation of international Federation of Red cross and Red Crescent Societies in New Delhi, and whereas I am of the opinion that it is expedient in the interest of General Public so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 if 2005), I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, Government of NCT of Delhi, hereby make the following amendment in the Sixth Schedule of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act, 2004—

In the entry at Sl. No. 1 Part B relating to the List of International Organizations which can claim refund, after the sub-entry at Sl. No. (27), the following new entry shall be appended, namely :—

"(28) South Asia Regional Delegation of International federation of Red Cross and Red Crescent Societies in New Delhi. In respect of official purchases."

This notification shall come into force with immediate effect.

सं. फा. 5 (54)/पी-II/वैट/संशो./2010-11/293-304.—जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या डी-II/451/12(03)/2011 दिनांक 7-2-2011 के द्वारा नई दिल्ली में बेनिन गणराज्य के दूतावास एवं राजनयिकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदे जाने वाले सामान के पक्ष में वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया है, और जबकि मेरा मत है कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है ।

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ अर्थात् :—

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004(2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में—

(i) भाग-ख में क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि में क्रम संख्या 11 के उपरांत नई उप-प्रविष्टि (11क) सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात्

"(11क) बेनिन गणराज्य

नई दिल्ली स्थित बेनिन गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद और इसके राजनयिकों की निजी खरीद के मूल्य संवर्धित कर की छूट/वापसी,

न्यूनतम इन्वाइस मूल्य 1500/ रुपये होगा ।"

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

F. No. 5(54)/Policy-II/VAT/Amendment/2010-11/293-304.—Whereas the Ministry of External Affairs, Government of India have *vide* their letter No. D-II/451/12 (03)/2011 Dated 7-2-2011 with the principles of reciprocity, requested the Government of NCT of Delhi to grant VAT Exemption/refund for the Republic of Benin in New Delhi, and whereas I am of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, Government of NCT of Delhi, hereby make the following amendments in the sixth schedule of the said Act namely :—

AMENDMENTS

In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act, 2004, (Delhi Act 3 of 2005)

(i) In the entry at Sl. No. 1, in Part-A, new sub-entry after Sl. No. 11 shall be inserted, namely :—

"(11A) Republic of Benin

Exemption/refund of VAT for official purchases of the Embassy of the Republic of Benin in

New Delhi and personal purchases of its diplomats.

The minimum invoice value will be Rs. 1500."

This notification shall come into force with immediate effect.

सं फा. 7/400/नीति/वैट/2011/280-292.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उप-नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, एतद्द्वारा ई-भुगतान के लिए पूर्व प्रदत्त योजना के अंतर्गत दो और बैंकों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अंतर्गत कर, अर्थदंड, ब्याज या अन्य किसी प्रकार के देय के ई-भुगतान के लिए सम्मिलित करता हूँ ।

अधिसूचना संख्या फा. 7(7)/नीति-III/वैट/2005-06/929 दिनांक 17-3-2008, फा.सं. 7(7)/नीति-III/वैट/2005-06/341 दिनांक 8-9-2008, फा सं. 7(7)/नीति-III/वैट/2005-06/130 दिनांक 15-6-2009, फा. सं. 7(7)/नीति-III/वैट/2005-06/864 दिनांक 2-3-2010 और फा. सं. 7(7)/नीति-III/वैट/2005-06/1878-89 दिनांक 6-1-2011 के द्वारा अधिसूचित बैंकों के अतिरिक्त निम्न दो बैंक भी ई-भुगतान के लिए अधिसूचित किए जाते हैं ।

1. केनरा बैंक

2. बैंक ऑफ बड़ोदा ।

उपरोक्त बैंकों के खाता धारक डीलर्स, जिनका कर निर्धारण मासिक है इस ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करेंगे तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अंतर्गत देय कर, ब्याज, अर्थदंड या अन्य किसी भी प्रकार के देय का भुगतान अनिवार्यत: ई-भुगतान द्वारा करेंगे । दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 व उप-नियम 3 के उद्देश्य से यूनिक चालान आइडेंटीफिकेशन नंबर (19 डिजीट सी. आई. ए.) वाले चालान का सी पार्ट रिटर्न के साथ भुगतान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा उपरोक्त सी. आई. एन. इन्टरनेट के द्वारा भुगतान के समय संबंधित बैंक की वेबसाइट द्वारा चालान के सी पार्ट पर अंकित किया जाएगा ।

डीलर्स अपने रिकार्ड के लिए संबंधित बैंकों से हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी चालान के पार्ट डी की कॉपी प्राप्त करेंगे । इस प्रकार से किए गए भुगतान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही, जैसाकि प्रचलन में है, क्रेडिट किया जाएगा । ई-भुगतान की योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्नक-1 में वर्णित हैं ।

उपरोक्त दोनों बैंक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे ।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त

No. F. 7(400)/Policy/VAT//2011/280-292.—In exercise of the powers conferred under Sub-Rule 5 of Rule 31 of the DVAT Rules, 2005, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, do hereby include two more banks in the already provided scheme for payment of tax, interest, penalty or any other dues under the DVAT Act, 2004, through electronic payment.

In addition to the already notified banks *vide* notifications No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/929 dated 17-3-2008; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/341 dated 8-9-2008; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/130 dated 15-6-2009; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/864 dated 2-3-2010; and No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/1878-89 dated 6-1-2011, the following banks are authorized for the facility of 'e -'payment :—

1. Canara Bank

2. Bank of Baroda.

Dealers having bank accounts with these banks and having monthly tax period shall avail of the 'e'-payment facility and make payment of tax, interest, penalty or any other amount due under DVAT Act, 2004 compulsorily. Part 'C' of the challan having unique Challan Identification Number (19 digit CIN) printed at the time of making payment on interest (Concerned Bank's web site) will be accepted as proof of payment for enclosing with the return for the purpose of sub-rule 3 of Rule 28 of DVAT Rules, 2005.

The dealers will obtain signed and stamped copy of Part 'D' of the challan from the concerned bank for their record. The amount so deposited will however be credited after confirmation from Reserve Bank of India as in operation now. Salient features of the scheme of e-payment are enclosed at Annexure-I.

These two banks shall adhere to the security and other provisions of Information Technology Act, 2000.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.